भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1450

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता

1450. प्रो. सौगत राय:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत/स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से उत्पन्न रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्र को सभी प्रकार के करों से पूर्ण छूट की कोई मांग है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से तकनीकी रूप से उन्नत/कुशल कर्मचारी उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (एनपीएसडीई), 2015 का उद्देश्य उच्च मानकों के साथ तेजी से बड़े पैमाने पर कौशल विकास द्वारा सशक्तिकरण का एक इको सिस्टम बनाना और नवाचार-आधारित उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है जो देश के सभी नागरिकों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन और रोजगार उत्पन्न कर सके, ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र में बदलना है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसका 14 क्षेत्रों में ₹1.97 लाख करोड़ का परिव्यय है, ने लगभग ₹1.88 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, जिसमें 806 स्वीकृत आवेदन सक्रिय कार्यान्वयन में हैं, जिससे 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। औद्योगिक क्षमताएं विस्तारित हुई हैं और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है तथा स्मार्टफोन का 99 प्रतिशत उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। रोजगार का एक प्रमुख सूचक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार 15-29 वर्ष आयु वर्ग हेतु वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य स्थिति में कामगार जनसंख्या अनुपात जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है **अनुबंध-I** में संलग्न है।

रोजगार सृजन और नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

पिछले एक दशक में, भारत ने कराधान को व्यापार-अनुकूल बनाने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। इन सुधारों से कर दरें कम हुई हैं, अनावश्यक कर हटाए गए हैं और अनुपालन आसान हुआ है। लक्ष्य स्पष्ट है - निवेश को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी को पुरस्कृत करना और विकास को समर्थन देना।

माल और सेवाओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें और छूट जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी एक संवैधानिक संस्था है, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं। कौशल विकास से संबंधित विभिन्न छूट अधिसूचना संख्या 12/2017- सीटी(आर) दिनांक 28.06.2017 की क्रमांक 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, जो **अनुबंध-II** में संलग्न है। वर्तमान में, जीएसटी परिषद के समक्ष इस क्षेत्र को जीएसटी से पूर्ण छूट देने के लिए कोई अन्य अनुरोध/मांग लंबित नहीं है।

अनुबंध I

'विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1450 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्य-वार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (सामान्य स्थिति में): अखिल भारतीय (ग्रामीण + शहरी)

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2027-18	वित्त वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	40.9	37.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.8	40
3.	असम	26.7	44
4.	बिहार	18.8	31.2
5.	छत्तीसगढ	43.5	57.8
6.	दिल्ली	30.1	33.3
7.	गोवा	37.8	33.5
8.	गुजरात	37.6	55.8
9.	हरियाणा	30.6	34.6
10.	हिमाचल प्रदेश	36.8	52.9
11.	झारखंड	27.9	49.3
12.	कर्नाटक	33.7	38.1
13.	केरल	23.8	28.5
14.	मध्य प्रदेश	39	56.6
15.	महाराष्ट्र	33.7	40.1
16.	मणिपुर	21.3	24.3
17.	मेघालय	39.6	53.1
18.	मिजोरम	28.3	22.5
19.	नागालैंड	14.7	36.5
20.	ओडिशा	28.5	46.3
21.	पंजाब	31.1	37.8
22.	राजस्थान	32.9	44.1
23.	सिक्किम	39.4	52.6
24.	तामिल तमिलनाडु	33.5	35
25.	तेलंगाना	32	40.7
26.	त्रिपुरा	27.6	43.9
27.	उत्तराखंड	20.7	44.2
28.	उत्तर प्रदेश	28.1	39
29.	पश्चिम बंगाल	35.3	44.6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	34.1	43.3
31.	चंडीगढ़	38.4	44.9
32.	दादर और नगर हवेली	55.8	56.9
33.	दमन और दीव	69	
34.	जम्मू और कश्मीर	34.7	40.2
35.	लद्दाख	-	31
36.	लक्षद्वीप	23.6	31.4
37.	पुदुचेरी	22.4	36.5
	संपूर्ण भारत	**31.4**	**41.7**

अनुबंध II

'विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1450 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कौशल विकास से संबंधित छूट अधिसूचना संख्या 12/2017 - सी दिनांक (आर).टी.28.06.2017 की क्रमांक 69, 70, 71 और 72 पर प्रविष्टि के माध्यम से अधिसूचित की गई हैं।

क्रम संख्या	अध्याय, अनुभाग, शीर्षक, समूह या सेवा कोड (टैरिफ)	सेवाओं का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्त
69	शीर्षक 9992 या शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991	निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवाएँ: (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित क्षेत्रीय कौशल परिषद; (ग) क्षेत्रीय कौशल परिषद या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसी; (घ) निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या क्षेत्रीय कौशल परिषद द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार: (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य योजना।	शून्य	शून्य
70	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9985 या शीर्षक 9992	कौशल विकास पहल योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से पैनलबद्ध मूल्यांकन निकायों की सेवाएं।	शून्य	शून्य
71	शीर्षक 9992	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों) द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
72	शीर्षक 9992	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए कुल व्यय का [75% या अधिक] केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।	शून्य	शून्य

*****